

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] No. 66] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2015/फाल्गुन 6, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2015/PHALGUNA 6, 1936

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

सं. 11—77/2012 यू.(पी.जी.डी.विनियम).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप—धारा (1) के खण्ड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 2007 को उन बातों के सिवाय, जहाँ तक वे यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमित से यूनानी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को विनियमित करने हेत् निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात् :—

- **1. लघु शीर्ष तथा प्रारम्भ**—(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 कहा जाएगा।
 - (2) वे उनके कार्यालय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं-इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,
- (क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;
- (ख) ''परिषद्'' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;
- (ग) ''मान्यता प्राप्त संस्थान'' से अधिनियम की धारा 2 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ड. क) के अधीन यथापरिभाषित कोई अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।
- 3. **उद्देश्य और प्रयोजन**-यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्दे य होंगे :--
- (1) नैदानिक वि ोषताओं के कु ाल यूनानी वि ोषज्ञ तैयार करना;
- (2) यूनानी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न वि ाष्टताओं में वि ोषज्ञ तैयार करना।
- (3) विि ाष्टताओं के सम्बन्धित क्षेत्र में निदान और प्रबन्ध के लिए निपुण और समर्थ बनाना।

958 GI/2015 (1)

4. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विशिष्टताएं—स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम निम्नलिखित वििष्टताओं में अनुज्ञात किया जाएगा :—

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	आधुनिक विषय की निकटतम पारिभाषिक शब्दावली
1.	इल्मुल सैदला	फार्मेसी
2.	अमराज़े ऐन	ऑफथलमोलॉजी
3.	अमराज़े उज़्न, अन्फ़ वा हलक़	ईयर, नोज एण्ड थ्रोट
4.	इलाज बित तद्बीर	रेजीमेनल थैरेपी
5.	तिब्बे कानूनी	फोरेन्सिक मेडीसिन
6.	इल्मुस समूम	टोक्सीकोलॉजी
7.	तिब्बी त खीसे भाुऐया	मेडिकल रेडियों डायग्नोसिस
8.	मुतादी और वाबाई अमराज़	कम्युनिकेबल डिसीज
9.	समाजी तिब्ब	कम्युनिटी मेडीसिन
10.	इलाज बिल गिज़ा	डाईट थेरेपी
11.	अमराज़े ज़िल्द वा तज़ीनीयत	स्किन एण्ड कोस्मेटोलॉजी
12.	अमराज़े इज़ाम वा मफ़ासिल	आर्थोपीडिक्स
13.	कबालत वा अमराज़ ए निस्वान	ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलॉजी
14.	वनौषधि	मेडिसिनल प्लांट्स
15.	अस्पताल प्रबन्धन	हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट
16.	स्वास्थ्य अनुरक्षण प्रबन्धन	हेल्थ केयर मैनेजमेन्ट

5. स्नातकोत्तर डिप्लोमा की नाम पद्धति—यूनानी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमः—यूनानी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की नाम पद्धति निम्नवत् होगीः—

क्र. सं.	पूर्ण नाम पद्धति
1.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (इल्मुल सैदला – फार्मेसी)
2.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अमराज़े ऐन — ऑफथलमोलॉजी)
3.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अमराज़े उज़्न, अन्फ़ वा हलक — कान, नाक तथा कंठ)
4.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (इलाज बित तद्बीर – रेजीमेनल थैरेपी)
5.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (तिब्बे कानूनी – फोरेन्सिक मेडीसिन)

	-
6.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (इल्मुस समूम – टोक्सीकोलॉजी)
7.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (तिब्बी तभखीसे भाुऐया – मेडिकल रेडियों डायग्नोसिस)
8.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मुताद्दी और वाबाई अमराज – कम्युनिकेबल डिसीज)
9.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (समाजी तिब्ब – कम्युनिटी मेडीसिन)
10.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (इलाज बिल गिज़ा – डाईट थैरेपी)
11.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अमराज़े ज़िल्द वा तज़ीनीयत – स्किन एण्ड कोस्मेटोलॉजी)
12.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अमराज़े इज़ाम वा मफ़ासिल — आर्थोपीडिक्स)
13.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कबालत वा अमराज़ ए निस्वान – ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलॉजी)
14.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मेडिसिनल प्लांट्स)
15.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अस्पताल प्रबन्धन)
16.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (स्वास्थ्य अनुरक्षण प्रबन्धन)

6. प्रवेश पद्धति-

- (क) पात्रता मानदण्ड : (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यताप्राप्त वि विवद्यालय अथवा संस्था से कामिल-ए-तिब-वा-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) में उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि धारक व्यक्ति तथा जिनका नाम भारतीय चिकित्सा पद्धित की राज्य पंजिका में पंजीकृत हो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवे । हेतु पात्र होंगे।
- (2) वि विवद्यालय अथवा सक्षम प्राधिकारी एक प्रवे ा समिति का गठन करेंगे, जो कि प्रवे ा प्रक्रिया का निरीक्षण करेगी।
- (ख) चयन पद्धतिः अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से सर्वथा योग्यता (मेरिट) के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा—पत्र बहुविकल्पीय प्र नों का होगा जिसमें बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी पाठ्यक्रम के समस्त विषय भामिल होगे तथा जिनके विवरण का निर्णय प्रवे ा समिति द्वारा किया जाएगा।
- 7. स्नातकोत्तर **डिप्लोमा पाठ्यकम की अवधि**—(1) स्नात्कोत्तर डिप्लोमा पाठ्यम की अवधि दो वर्श की होगी।
- (2) छात्र को वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता हेतु सिद्धांत तथा प्रयोगात्मक के कुल व्याख्यानो में से कम से कम 75 प्रति ात व्याख्यानो में भाग लेना होगा।
- (3) छात्र को पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अस्पताल की ड्यूटी और अन्य ड्यूटी जैसा कि उनके लिए नियत किया गया है, पूरी करनी होगी।
- (4) छात्र को सभी ि क्षिण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विभाग के अन्य कार्यकलापों में भाग लेना होगा।
- 8. प्रशिक्षण की विधि—(1) शास्त्रीय जानकारी में विि १९८ प्रभिक्षण के साथ उस विशेषता में तुलनात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन प्रदान किया जाएगा।
- (2) गहन अनुप्रयुक्त प्रि क्षण पर जोर दिया जाएगा।
- (3) नैदानिक परीक्षण में छात्र स्वतंत्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबंधन तथा आपातकालीन चिकित्सा की जिम्मेदारी लेगा ताकि विशेषज्ञ के रूप में स्वतन्त्र रूप से कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सके।
- (4) मोआलाजात, इल्मुल जराहत, अमराज़े उज़्न, अन्फ वा हन्क तथा कबालत वा अमराज़े निस्वान की विशिष्टताओं में अन्वेषनात्मक प्रक्रियाओं, तकनीकों तथा शल्य प्रक्रिया को करने एवं संबंधित विशिष्टताओं के प्रबंन्धन में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 9. परियोजना कार्य—(1) द्वितीय वर्ष के अंतिम छह माह में छात्र को गाईड द्वारा आबंटित तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर परियोजित कार्य को प्रस्तुत करना होगा।

- (2) परियोजना कार्य का विषय प्रयोगात्मक तथा उस विशिष्टता में क्षमता विकसित करने में सहायक होना चाहिए।
- 10. परीक्षा—िकसी भी विषय में डिप्लोमा में (i) लिखित (ii) नैदानिक अथवा प्रयोगात्मक तथा (iii) मौखिक परीक्षा शामिल होगी। दो शैक्षिक वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक विशिष्टता में एक अंतिम परीक्षा होगी।
- 11. अंको का पैटर्न—(1) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सौ अंकों की होगी, जिसमें अस्सी अंक वार्षिक परीक्षा के तथा बीस अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे।
- (2) प्रत्येक विशिष्टता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक सैद्धांतिक में पचास प्रतिशत तथा प्रयोगात्मक में पचास प्रतिशत होंगे।
- 12. परीक्षक—(1) परीक्षक की नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी तथा परीक्षा के दो वर्शों के अंतराल के पश्चात् उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (2) परीक्षक रीडर / सह–आचार्य के पद से कम का नहीं होना चाहिए।
- (3) अनुबंध आधार पर नियुक्त या अस्थाई शिक्षक परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किये जाऐंगे।
- 13. स्नात्कोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यकताए—(1.) रनातकोत्तर डिप्लोमा उन वर्तमान मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं में संचालित कराया जायेगा जहां रनातकीय प्रशिक्षण की सम्पूर्ण न्यूनतम अपेक्षाएं संतोषजनक रूप से विद्यमान हों। तथापि केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति (यूनानी) को विकसित करने के हित में बिना रनातकीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्रदान कर सकती है।
- (2) महाविद्यालय अथवा संस्था में सम्बंधित विशिष्टता और विषय में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पर्याप्त आधारभूत संरचना, उपकरण, संकाय तथा सुविधाएं होनी चाहिए।
- 14. छात्र शिक्षक अनुपात—जहां पर सम्बंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त एक अतिरिक्त शिक्षक होगा वहां पर स्नातकोत्तर डिपलोमा पाठ्यक्रम की पांच सीटें प्रदान की जाएंगी । उन संस्थाओं के लिए, जहां स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है, वहां शिक्षण स्टाफ का पैटर्न सम्बंधित विषय में एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक तथा एक व्याख्यता होगा।
- 15. छात्र शय्या अनुपात—नैदानिक विशयों में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु छात्र भाय्या अनुपात स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अपेक्षित शय्याओं की संख्या के अतिरिक्त 1:2 होगा। गैर नैदानिक विशयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु शय्याओं की संख्या बढाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन संस्थाओं के लिए जहां स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है, वहां शय्याओं की न्यूनतम संख्या पचास आवश्यक है।
- **16. वृत्तिका**—अन्य चिकित्सीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु सम्बंधित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार में लागू दर पर वृत्तिका उपलब्ध कराई जाएगी।
- 17. प्रत्येक पाठ्यक्रम हेत् छात्रों की संख्या-प्रत्येक विषय में छात्रों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी।
- **18. मान्यता हेतु मानदण्ड**—(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क अथवा 13ग में दी गई परिभाषा के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था।
- (2) केन्द्र को स्नातकीय हेतु परिषद् द्वारा विहित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो कि डिप्लोमा में संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार पर निर्भर होंगी।
- (3) अनुशंगी (सहायक) विभागों की समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- (4) डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अनुसार केवल केन्द्रीय सरकार की अनुमति से संचालित किया जा सकता है।
- 19. प्रवेश की अनुमित को वापिस लेना—(1) डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमित वापस ले ली जाएगी यदि—
- (1) कोई संस्थान परिषद् के प्रतिमानकों के अनुरूप न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होता है।
- (2) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।
- (3) चंदा (दान) और कैपिटेशन शुल्क लिया जाता है।
- (4) शिक्षा, छात्रावास और पुस्तकालय शुल्क, विहित शुल्क से अधिक वसूल किया जाता है।
- 20. अनुमित की प्रिकिया—(क) कोई मान्यताप्राप्त संस्था अनुमित के लिए केन्द्रीय सरकार को नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना एवं उत्तरोत्तर संशोधन तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 दिनांक 15 मार्च, 2004 को भारत के राजपत्र दिनांक 16.03.2004 की धारा 4, भाग III में प्रकाशित एवं तद्न्तर्गत संशोधित विनियम 2013, दिनांक 28.03.2014 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क, योजना तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु सहमित सहित प्रति वर्ष 1 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक आवेदन करेगी;

- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पत्र को अनुवर्ती कलैण्डर वर्ष की 31 जनवरी को अथवा इससे पूर्व परिषद् को अग्रसारित किया जाएगा.
- (ग) आवेदन—पत्र प्राप्त होने के बाद परिषद् द्वारा प्रस्ताव की जॉच की जाएगी तथा वांछित सूचना यदि कोई हो तो महाविद्यालय से प्राप्त की जाएगी तथा परिषद् द्वारा महाविद्यालय का परिदर्शन किया जाएगा, तथा परिषद् अपनी संस्तुतियां खण्ड (II) में उल्लिखित वर्ष की 28 फरवरी को अथवा इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगी तथा
- (घ) केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट होने अथवा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् खण्ड (II) में उल्लिखित वर्ष की 31 मार्च तक स्वीकृति या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, का पत्र जारी करेगी।

प्रेमराज शर्मा, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा. / 124 / 14 (307)]

टिप्पणी :—अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2015

- **No. 11-77/2012 U(P.G.D. Regl.).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post Graduate Education) Regulation, 2007, in so far as they relate to post-graduate diploma course in Unani medicine, except as respects to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the post-graduate diploma courses in Unani, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Unani medicine) Regulations, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** —In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
 - (b) "Council" means the Central Council of Indian Medicine;
 - (c) "recognised institution" means an approved institution as defined under clause (a) and clause (ea) of sub-section (1) of Section 2 of the Act.
- **3. Aims and objects.** The aims and objects of the post-graduate diploma course in Unani medicine shall be to-
 - (i) produce efficient Unani specialists in clinical specialities;
 - (ii) produce the experts in various specialities for research and development in the field of Unani;
 - (iii) have the skills and competence to diagnose and manage the conditions in respective area of specialities.
- **4. Specialities for post-graduate diploma courses.** The post-graduate diploma courses shall be allowed in the following specialities: —

Sl. No.	Name of speciality	Nearest terminology of modern subject
1.	Ilmul Saidla	Pharmacy
2.	Amraze Ain	Ophthalmology
3.	Amraze Uzn, Anf wa Halaq	Ear, Nose and Throat
4.	Ilaj bil Tadabeer	Regimenal therapy
5.	Tibbe Qanooni	Forensic medicine
6.	Ilmus Samoom	Toxicology
7.	Tibbi Tashkheese Shuaiya	Medical Radio Diagnosis
8.	Mutaaddi aur Wabai Amraz	Infectious Communicable Diseases
9.	Samaji Tibb	Community medicine
10.	Ilaj bil Ghiza	Diet therapy
11.	Amraze Jild wa Tazyeeniyat	Skin and Cosmetology
12.	Amraze Izam wa Mafasil	Orthopaedics
13.	Qabalat wa Amraz e Niswan	Obstetrics and Gynaecology
14.	Medicinal Plants	Medicinal Plants
15.	Hospital Management	Hospital Management
16.	Health Care Management	Health Care Management

5. Nomenclature of post-graduate diploma.- The nomenclature of the post-graduate diploma course in Unani shall be as follows:—

Sl. No.	Full nomenclature
1.	Post-Graduate Diploma in Ilmul Saidla (Pharmacy)
2.	Post-Graduate Diploma in Amraze Ain (Ophthalmology)
3.	Post-Graduate Diploma in Amraze Uzn, Anf wa Halaq (Ear, Nose and Throat)
4.	Post-Graduate Diploma in Ilaj bil Tadabeer (Regimenal therapy)
5.	Post-Graduate Diploma in Tibbe Qanooni (Forensic medicine)
6.	Post-Graduate Diploma in Ilmus Samoom (Toxicology)

7.	Post-Graduate Diploma in Tibbi Tashkheese Shuaiya (Medical Radio Diagnosis)	
8.	Post-Graduate Diploma in Mutaaddi aur Wabai Amraz (Infectious and Communicable Diseases)	
9.	Post-Graduate Diploma in Samaji Tibb (Community medicine)	
10.	Post-Graduate Diploma in Ilaj bil Ghiza (Diet therapy)	
11.	Post-Graduate Diploma in Amraze Jild wa Tazyeeniyat (Skin and Cosmetology)	
12.	Post-Graduate Diploma in Amraze Izam wa Mafasil (Orthopaedics)	
13.	Post-Graduate Diploma in Qabalat wa Amraz e Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	
14.	Post-Graduate Diploma in Medicinal Plants	
15.	Post-Graduate Diploma in Hospital Management	
16.	Post-Graduate Diploma in Health Care Management	

6. Mode of admission.-

- (a) Eligibility criteria: (1) A person holding degree of Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) or equivalent degree from a recognised University or institution included in the Second Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 and enrolled in the State Register of Indian System of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate diploma courses.
 - 2. The University or the Competent Authority shall constitute an admission committee, which shall supervise the admission procedure.
- **(b) Mode of selection:** Selection of candidates shall be made strictly on the basis of merit through entrance test. The entrance test paper shall be of objective type questions covering all the subjects of Bachelor of Unani Medicine and Surgery course, the details of which shall be decided by the admission committee.
- **7. Duration of post-graduate diploma course.**—(1) The duration of post-graduate diploma courses shall be for two years.
 - (2) The student shall have to attend at least seventy-five per cent of total lectures in theory and practicals to become eligible for appearing in annual examination.
 - (3) The student shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to them during the course of study.
 - (4) The student shall participate in all the teaching and training programmes and other activities of the department.
- **8. Method of training.**—(1) Intensive training should be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective speciality.
 - (2) The emphasis shall be given on intensive applied training.
 - (3) In the clinical training, the student shall undertake the responsibility in the management and treatment of patients independently and deal with emergencies so as to acquire the knowledge of independent work as a specialist.

- (4) In the specialities of Moalajat, Ilmul Jarahat, Amraze Uzn, Anf wa Halaq and Qabalat wa Amraze Niswan, the student shall have to undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective speciality.
- **9. Project work.**—(1) In the last six months of second year, student has to submit the project work on the subject allotted by the guide, approved by the University.
 - (2) The subject of project work shall be practical oriented, and helpful in the development of competence in the respective specialities.
- **10. Examination.**—Diploma examination in any subject shall consist of (i) Written (ii) Clinical or Practical and (iii) Viva- voce. There shall be only one final examination in each speciality at the end of two academic years.
- **11. Pattern of marks.**—(1) The maximum marks of each theory paper and practical will be hundred, inclusive of eighty marks of annual examination and twenty marks of internal assessment.
 - (2) Minimum passing marks shall be fifty per cent in theory and fifty per cent in practical for each subject.
- **12. Examiner.**—(1) The examiner shall be appointed on yearly basis and may be re-appointed after a gap of two years examination.
 - (2) The examiner shall hold not less than the post of Reader or Associate Professor.
 - (3) Contractual or temporary teacher shall not be appointed as examiner.
- 13. Minimum requirement for conducting post-graduate diploma courses.—(1) Post-graduate diploma shall be conducted in the existing recognised medical colleges or institutions where entire minimum requirements of under-graduate training satisfactorily exist. However, the Central Government may in the interest of developing Indian System of Medicine (Unani) grant permission under special circumstances to start post-graduate diploma course without under-graduate course.
 - (2) The college or institution shall have adequate infrastructure, equipments, faculty and facilities required for training in the related speciality and subject.
- **14. Student teacher ratio.** Five seats of post-graduate diploma shall be provided where there is one additional teacher with post-graduate qualification in concerned subject. For those institutions, where under-graduate course is not in existence, the pattern of teaching staff shall be one Professor or Reader and one Lecturer in the concerned subject.
- **15. Student bed ratio.**—The student bed ratio for post-graduate diploma course in clinical subjects shall be 1:2 in addition to number of beds required for under-graduate course. There will be no need to increase beds for post-graduate diploma in non-clinical subjects. For those institutions where under-graduate course is not in existence the minimum number of beds required is fifty.
- **16. Stipend.**—The stipend shall be provided at the rates prevailing in the respective Central or State Government for other medical post-graduate diploma courses.
- 17 Number of students for each course.- Number of students shall not exceed to five in each subject.
- **18.** Criteria for recognition.—(1) An institution recognised by Government of India under definition of section 13A or 13C of Indian Medicine Central Council Act, 1970.
 - (2) The Centre shall satisfy the minimum requirements of under-graduate as prescribed by the Council depending upon the type of training to be conducted in diploma.
 - (3) All the facilities of ancillary departments should be available.
 - (4) Diploma course can be conducted only with the permission of Central Government in accordance with section 13A of Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- **19. Withdrawal of permission of admission.**—The permission of admission in diploma course shall be withdrawn if,-
 - (i) any institution fails to meet minimum standards and requirement in conformity with the norms of the Council;

- (ii) students are admitted more than the strength sanctioned by the Govt. of India;
- (iii) donation and capitation fee are charged.
- (iv) tuition, hostel and library fee are charged more than the prescribed fee.
- **20. Procedure of permission.**—(i) Any recognised institution shall apply to the Central Government for permission, from the 1st December to 31st December of every year, along with the required fee, scheme and the consent for affiliation from the concerned University, as prescribed in the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003, dated the 15th March, 2004 and published in the Part III, section 4 of the Gazette of India on the 16th March, 2004 and its amendment Regulations, 2013 dated 28th March, 2014.
 - (ii) the application shall be forwarded to the Council by the Central Government on or before the 31st January of the succeeding calendar year;
 - (iii) after receipt of the application the proposal will be examined by the Council and desired information if any will be obtained from the college and the college shall be visited by the Council, and the Council shall make its recommendations to the Central Government on or before the 28th February of the year referred to in clause (ii); and
 - (iv) the Central Government after satisfying or giving opportunity of hearing, shall issue the letter of permission or rejection by the 31st March of the year referred to in clause (ii), as the case may be.

PREM RAJ SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./124/14(307)]

Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Unani Medicine) Regulations, 2015, the English version will be treated as final.